भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 6261

उत्तर देने की तारीख- 02/04/2026

बदायूं जिले में जनजातीय कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन

6261. श्री आदित्य यादव:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में जनजातीय समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए उक्त जिले में जनजातीय आबादी हेतु शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका सृजन से संबंधित योजनाओं का विस्तार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनजातीय परिवारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, आवास और कल्याणकारी कार्यक्रमों तक पहुंच को सुदृढ़ करने हेतु राज्य एजेंसियों और स्थानीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): सरकार उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यनीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को क्रियान्वित (लागू) कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और गैर-अजजा आबादी के बीच विकास संबंधी अंतर को पाटने और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए प्रति वर्ष अपने कुल योजना बजट का कुछ निश्चित प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित निधियों के साथ योजनाएं केंद्रीय बजट दस्तावेज के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10ख में लिंक https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/stat10b.pdf पर दी गई हैं।

राज्य सरकारों को राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी (जनगणना 2011) के अनुपात में कुल योजना आवंटन के संबंध में टीएसपी निधियां निर्धारित करनी होती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने स्वयं की निधियों से टीएसपी के लिए आवंटन और व्यय का विवरण https://statetsp.tribal.gov.in पर उपलब्ध है।

(ख): जनजातीय कार्य मंत्रालय देश भर में जनजातीय आबादी की शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका सृजन से संबंधित निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित (लागू) कर रहा हैः

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) का उद्देश्य जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इस नई योजना के अंतर्गत, सरकार ने 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: यह योजना कक्षा IX-X में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर लागू है। माता-पिता की आय सभी स्रोतों को मिलाकर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिवा छात्रों को 225 रुपये प्रति माह और छात्रावास में रहने वालों को 525 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सभी स्रोतों को मिलाकर माता-पिता की आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 में, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के तहत 10 और 6 छात्रों ने बदायूं जिले में क्रमशः 1,63,700.00 रुपये और 1,61,610 रुपये की राशि का लाभ उठाया।

अजजा अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तिः यह योजना चयनित छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रति वर्ष कुल 20 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इनमें से 17 छात्रवृत्तियां अनुसूचित जनजातियों के लिए और 3 छात्रवृत्तियां विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित छात्रों के लिए हैं। सभी स्रोतों से माता-पिता/परिवार की आय रु. 6.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्रालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को विदेश में भारतीय मिशनों/दूतावासों के माध्यम से अनुदान दिए जाते हैं।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति-(शीर्ष श्रेणी) योजना [स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर]: इस योजना का उद्देश्य आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनआईआईटी आदि जैसे मंत्रालय द्वारा चिह्नित देश भर के 265 उत्कृष्ट संस्थानों में से किसी में भी निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए मेधावी अजजा (एसटी) छात्रों को प्रोत्साहित करना है। सभी स्रोतों से परिवार की आय 6.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति राशि में शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस), रहने का खर्च और किताबों एवं कंप्यूटर के लिए भत्ते शामिल हैं।

अजजा (एसटी) छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्तिः भारत में एमफिल और पीएचडी के लिए उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष अजजा छात्रों को 750 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति यूजीसी मानदंडों के अनुसार दी जाती है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान : अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत, मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है, जिसमें आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, सचल औषधालय, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल, आजीविका आदि शामिल हैं।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) : मंत्रालय भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के माध्यम से 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' योजना क्रियान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य जनजातीय उद्यमिता पहलों को सुदृढ़ करना और प्राकृतिक संसाधनों, कृषि/लघु वन उपजों (उत्पादों) (एमएफपी)/गैर-कृषि उत्पादों के अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधित, इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकारों को वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जो एमएफपी/गैर-एमएफपी की मूल्य संवर्धन गतिविधियों के केंद्र हैं। ट्राइफेड ऑनलाइन और ऑफलाइन मंचों के माध्यम से धातु शिल्प, कपड़ा, आभूषण, पेंटिंग, बेंत और बांस, टेराकोटा और मिट्टी के बर्तन, जैविक और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों आदि जैसे विभिन्न श्रेणियों के जनजातीय उत्पादों के विपणन के लिए जनजातीय कारीगरों / आपूर्तिकर्ताओं को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, ट्राइफेड जनजातीय कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने तथा उन्हें संभावित खरीदारों से जोड़ने के लिए मंच प्रदान करने हेतु उत्सवों, मेलों आदि का आयोजन करता है तथा उनमें भाग लेता है, जिससे उन्हें अपनी उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ाने का अवसर मिलता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी): जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एनएसटीएफडीसी, अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से स्थापित एक सर्वोच्च (शीर्ष) संगठन है जो आजीविका सृजन के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित (लागू) करता है। एनएसटीएफडीसी, थारू जनजाति सहित पात्र अनुसूचित जनजाति समुदायों को रियायती ऋण प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी की

योजनाएं उत्तर प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में क्रियान्वित (लागू) की जाती हैं। एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएँ नीचे दी गई हैं:

i. **सावधि ऋण योजना:** एनएसटीएफडीसी प्रति इकाई ₹50.00 लाख तक की लागत वाली व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण देता है। इस योजना के तहत, परियोजना लागत के 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और शेष राशि सब्सिडी/प्रमोटर के योगदान/मार्जिन मनी के माध्यम से कवर की जाती है।

ii. **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) :** यह अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत, एनएसटीएफडीसी ₹2 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 90% तक का ऋण देता है।

iii. **स्वयं सहायता समूहों के लिए लघु ऋण योजना (एमसीएफ) :** यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की लघु (छोटे) ऋण की ज़रूरतों को पूरा करने हेतु स्वयं सहायता समूहों के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत, निगम प्रत्येक सदस्य को ₹50,000/- तक और प्रत्येक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को अधिकतम ₹5 लाख तक का ऋण देता है।

iv. **आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई) :** यह अजजा विद्यार्थियों की भारत में पीएचडी सहित तकनीकी और व्यावसायिक (पेशेवर) शिक्षा प्राप्त करने के खर्च को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षा ऋण योजना है। इस योजना के तहत, निगम प्रत्येक पात्र परिवार को ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता देता है। छात्र शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से अधिस्थगन अवधि अर्थात् पाठ्यक्रम अवधि एवं पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद एक वर्ष या नौकरी मिलने के बाद छः महीने जो भी पहले हो, के दौरान ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(ग) अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग संबंधित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से अपनी-अपनी योजनाओं को क्रियान्वित (लागू) करते हैं। राज्य/जिला स्तर पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली (https://stcmis.gov.in) स्थापित की गई है।

बदायूं जिले में, पीएमएवाई-जी के लिए पात्र के रूप में पहचाने गए 403 अनुसूचित जनजाति (ST) परिवारों में से 402 के लिए आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के लिए समावेशी शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कई तंत्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार सहित राज्य सरकारों के साथ समन्वय करता है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना, मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) के माध्यम से क्रियान्वित (लागू) की जाती है, जो ईएमआरएस की स्थापना और प्रबंधन के लिए नामित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ समन्वय में काम करती है।

ट्राइफेड योजना पीएमजेवीएम योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है और ट्राइफेड योजना दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योजना को क्रियान्वित (लागू) करता है।

मंत्रालय ने डीएपीएसटी के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध निधियों के अभिसरण के माध्यम से अजजा के विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) मिशन शुरू किया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन, समन्वय और निगरानी के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर समितियों का गठन किया गया है। इनमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय शीर्ष समिति, जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला-स्तरीय समितियां और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए ब्लॉक-स्तरीय कार्यान्वयन दल शामिल हैं।

बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटन और व्यय की समीक्षा के लिए डीएपीएसटी के ढांचे के तहत आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।
